

08 $\frac{12}{22}$

पत्रावली मूल वाद के साथ सुनवाई पर ली गई। मूल
वाद जरिये विशाल प्रा. पत्र धारित है जाने से
मूल वाद के अभाव में उक्त प्रा. पत्र चले योग्य
नहीं होने से धारित किया जाता है पत्रावली फाइल
सुमार दफ्तर नंबर से कम है।

(8)
500